भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3882

जिसका उत्तर 18.03.2021 को दिया जाना है

एनएच पर यात्रियों के लिए सुविधा

3882. श्री चिराग कुमार पासवान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर यात्रियों के लिए बुनियादी आघात (ट्रॉमा) सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ आबादी वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उचित प्रकाश की सुविधा प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधोगामी पुलों के नीचे प्रकाश की व्यवस्था की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के समग्र उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ट्रॉमा केयर सुविधाएं (टीसीएफ) स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

(ख) और (ग): 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं को विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता' के नाम की योजना के अंतर्गत चिन्हित सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं को उन्नत करने/सुदृढ़ीकरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। 17 राज्यों में 116 ट्रॉमा केयर सुविधाओं को वित्तपोषित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं को विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण के रूप में निरंतर बनी हुई है एवं 80 और ट्रॉमा केयर सुविधाओं को निधि प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चिन्हित ट्रॉमा केयर सुविधाओं को सहायता प्रदान करने के लिए ट्रॉमा और बर्न इंज्यूरी का निवारण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जारी रहा है।

(घ) और (ड.): 4/6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश सामान्यत: आईआरसी एसपी-84/87 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है। सामान्य रूप से सभी स्थानों जैसे कि निर्माण खंड क्षेत्र, टोल प्लाजा क्षेत्र, ट्रक ले बायस, विश्राम क्षेत्र, बस बे व बस आश्रय स्थान, ग्रेड विभाजित संरचनाएं, इंटरचेंज, फ्लाईओवर, अंडरपास (वाहन और पदयात्री), ओवरपास और कोई अन्य स्थान जिसे संविदा/रियायत समझौता में विनिर्धारित किया गया है, आईआरसी एसपी 84/87 के साथ संयोजन में पठित, वे चिन्हित स्थान है जहां प्रकाश की व्यवस्था की जानी है।

*****